संख्या-69/2018/3602/17-27-सिं0-4-155(इब्ल्यू)परि0/16

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

3409
24/3/18

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2018

विषय: प्रोजेक्ट ऑन रियल टाइम सैन्सिंग एण्ड मानिटरिंग ऑफ रेगुलेटर गेट्स एट किमी0 67.000 एण्ड किमी0 76.256 ऑफ जौनपुर ब्रांच हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5427/अनि-2, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-329/2016/3009/16-27-सिं0-4-155(डब्ल्यू)परि0/16, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4701-87-051-10-1014-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 1,00,00,000.00 लाख (रुपया एक करोड मात्र) परियोजना के कार्यो पर व्यय वहन हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

2- मात्राओं की निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने, कार्य ससमय पूर्ण कराए जाने एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का होगा।

3- परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जाएगी।

5- उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत एवं विश्व बैंक की गाइड लाइन्स एवं उनके इम्प्लीमेन्टेशन रिव्यू एवं सपोर्ट मिशन में उठाये गये बिन्दुओं का समाधान करते हुए ही किया जाएगा तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं विश्व बैंक की टीम, उनके प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

मु0अ0(बजट)

वरि0 प्रशा0 अधि0 | AO

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ
23/3/18

मुख्य अभियन्ता (बजट)
23/3/18

23/3

7- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्य की सम्पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गई हो तो ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

10- प्रश्नगत परियोजना पर अवमुक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-87-सूचना तकनीक के विकास की परियोजना(वाणिज्यिक)-051-निर्माण-10-नहरें-1014-सम्बद्ध कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं प्रतिनिधानित अधिकारी के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव।

संख्या-69/2018/3602/17-27-सिं0 एवं ज0सं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव।